

फर्द अहकाम

आदीबा प्रसाद बनाम मजूरिंह कौं

नाम न्यायालय ACM-चौं

केस संख्या T.I. - 37/104/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/9/23	प्रसाद डिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर हैं। अतः अंतिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/12/23 को पेश हो।	
	08/12/23	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थानित रखे जाने से पत्रावली गत आजानुसार दिनांक 16/2/24 को पेश हो।	
	16/2/24	प्रसाद डिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर हैं। अतः अंतिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/3/24 को पेश हो।	
	15/3/24	क.प्र. डी. प्रभावली वस्त्र-बंदन हेतु आगामी दिनांक 29/4/24 को पेश हो।	
	29/4/24	क.प्र. डी. वस्त्र T.I. खुली गयी। प्रभावली पर उपलब्ध उस्तावेजों को अवलोकन किया गया व वस्त्र पर मत-किया गया। मूल वाद सुझावों के निर्माण, प्राप्ति व स्थायी निषेधाज्ञा को प्रमाण के तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 14/11/23 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ता' फंसल मूल वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि प्रमाण के मध्य वाद वस्त्र पर न बरे। मत रत न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14/11/23 को ता' फंसल मूल वाद कन्फर्म किया जाना है प्रभावली फंसल शुद्ध हुकर दर्ज नकर व कत व तथा मूल वाद के साथ रहे।	

सहायक कलक्टर चौं (जयपुर)